

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2- 356 / ग्यारह-7(23)/83-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(89)-2013
लखनऊ, दिनांक: 04 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 04 अप्रैल, 2013 से सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-252 / ग्यारह-7(23)/83-उ0प्र0अधि0-37-2008-आदेश-(4)-2008 दिनांक 1 फरवरी, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, स्तम्भ 2 तथा 3 में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

अनुसूची

क्रम संख्या	माल/व्यक्तियों के वर्ग का विवरण	शर्तें/निर्बन्धन
1	2	3
	(ग) केन्द्रीय पुलिस कैंटीन, जिनमें उनके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में विक्रय किया जायेगा।	(ग) यदि कमान्डेन्ट की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो कि माल केन्द्रीय सुरक्षा बलों के सदस्यों को विक्रय के लिये तात्पर्यित है।

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।